

आदेश क्रमांक 23/184-49 वि० T 128 दिनांक चण्डीगढ़:- 23-2-2001

डॉ० सी० माडल स्कूल, विासअवतगर अम्बाला

हस्तावली को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से तक स्तर की सम्बन्धाता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जात है कि विद्यालय तय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के जो रुज बनेंगे विद्यालय विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर हैं यह अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

सुमिता मिश्रा सिंह

निदेशक तैकडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

पृष्ठानक क्रमांक

दर

दिनांक चण्डीगढ़:- 16-3-2001

इसको एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी अम्बाला को उनके पत्र क्रमांक सी-2 28/3/74 हेतु तन्दर्भ में।

2. प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक डॉ० सी० माडल स्कूल, विासअवतगर अम्बाला हस्तावली जिला अम्बाला।

3. तमिः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्प्यूनिटी सैन्टर प्रीत बिहार, नई दिल्ली- 110092.

D. C. Model High School
Ambala Cantt.

Manager

Principal

अधीक्षक विद्यालय

तैकडरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।